

अज अदालत..... **सहायक रजिस्टर (SDO)**..... मुकाम.....

बायतु

..... **कुमभाराम** बनाम **अचलराम कर्कर**

किस्म मुकदमा **श. अ. 111/128** नं. **114** सन् **2018**

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-3-18 27/03/18	<p>प्राथी/वादी/अपीलांत के वकील श्री कुमभाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR M- राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27.3.18 को पेश हो।</p> <p>प्राथी वकील उपरिमत/विप्राथीगिणे के नोटिस तामिल खुडा प्राप्त जितने शामिल पत्रावली विमा गमा। विप्राथीगिण वाकजुड तामिल अनुउपलित। प्राथी के अधिपन्त सी एउपसीम बटात खुनी गई। प्राथी के अधिपन्त के बलाभा सी प्राथी हो अपने प्यातेदारी प्येले के चारों कोर पन्हे नेप्यम ट्प्रापित इरवाना कावपुड है। इतलिह प्राथी डा नेप्यमवनी कावेडन स्वीडार विमा जाडर नेप्यमवनी कावेडा विमा जावे। कतः प्राथी डा नेप्यमवनी कावेडन स्वीडार विमा जाडर तट- स्वीडार वाकजुड हो इमिद्वानर निमुक्त विमा जाल है व कावेडा विमा जाल है कि प्राय स्वमं मा अपने अधिपन्त विमी सी भू अधिलेय निरिहड से प्राथी के प्यातेदारी प्येले ही पन्ही नेप्यमवनी मोडे पर खुलुड जमाडराडर डरे, पालना रिपोडे प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली</p>	

जमल कुमार के दर्ज नम्बर के इस हो, शामिल इफ्तार हो।

सहायक रजिस्टर (SDO)
बायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 400

दिनांक:-27 / 03 / 2018

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. हुकमाराम पुत्र गोमाराम जाति जाट
निवासी हेमाणियों का तला (बाटाडु)
तहसील बायतु जिला बाडमेर


1. अचलाराम पुत्र मगाराम वगैरा 16
जाति जाट निवासी हेमाणियों का तला
तहसील बायतु(बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 114 / 18

आदेश

मौजा हेमाणियों का तला पटवार हल्का बाटाडु तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 1576 / 1526, रकबा 6.11 बीघा की भूमि के चारों तारफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत का सीमा ज्ञान कर प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिडा/बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



सहायक अधिकारी बायतु
दिनांक:- 27 / 03 / 2018

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हुकमाराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री अचलाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिडा / बायतु।

सहायक अधिकारी बायतु
बायतु